कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया

आदेश सं0–परिषद / क0लि0 / मान्यता / 21834 / 2016–17 दिनांक– 31 दिसम्बर 2016

सेवा में,

प्रबन्धक,
कैम्ब्रिज इण्टरनेशनल उच्च प्राथमिक विद्यालय,
मईल, भागलपुर, देवरिया।

विषय– **निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 18 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।**

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मै **कैम्ब्रिज इण्टरनेशनल उच्च प्राथमिक विद्यालय, मईल, भागलपुर, देवरिया** को तारीख **31.12.2016** से दिनांक **30.12.2019** तक तीन वर्ष की अवधि के लिए **कक्षा नर्सरी से कक्षा 8** तक अंग्रेजी माध्यम की अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

1– मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2– विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3– विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्ष में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4– पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्रदान करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5–सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6–विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 18 के उपबन्धों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पुरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 28 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर

Scanned with OKEN Scanner

न्यूनतम अर्हतायें नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8– विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और मानियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है।

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– **लगभग 3 एकड़**
- कुल निर्मित क्षेत्र– **20,000 वर्गफीट**
- क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल – **1 एकड़ उपलब्ध है।**
- कक्षाओं की संख्या –**20 उपलब्ध है।**
- प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडागार के लिए कक्ष– **उपलब्ध है।**
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय – **उपलब्ध है।**
- पेयजल सुविधा– **उपलब्ध है।**
- मिड–डे–मिल पकाने के लिए रसोई – **उपलब्ध है।**
- बाधारहित पहुँच – **उपलब्ध है।**
- अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धत– **उपलब्ध है।**

9– विद्यालय के कक्षाएं के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाए नहीं चलाई जाएगी।

10– विद्यालय भवनों या अन्य संगठनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11– विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12– स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

13– विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

14– आपके विद्यालय के आवंटित मान्यता कोड 28 है, कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का प्रयोग करें।

15– विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सत्त अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

16– सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

17– संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

18– किसी भी प्रकार का तथ्य गोपन प्रकाश में आता है तो दी गयी मान्यता बिना नोटिस के समाप्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

भवदीय

(राजीव कुमार यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया

Scanned with OKEN Scanner